न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

संख्या - 27/21 शीर्षक ....कुंजबिहारी.... बनाम ....कैलाश....

कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
16.5.25 वादी/प्रतिवादी मय अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारीजी राज काज व्यस्त/अवकाश पर हैं। पत्रावली पूर्व तारीख को बावत दिनांक 23.5.25 को पेश हो।	
23.05.25 पत्रा० पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान अधि० बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र धारा 251A RTA स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय/आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम :– बृजेश गुप्ता (R.A.S)
मुकदमा नम्बर :– 27/2024
किस्म मुकदमा :– प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक :– 11.03.2024
निर्णय दिनांक :– 23.05.2025

अनवान

1. कुंजबिहारी पिता चुन्नीलाल निवासी सुन्दरचा तहसील व जिला राजसमन्द।

................प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश पुत्र अम्बालाल निवासी सुन्दरचा तहसील व जिला राजसमन्द।
2. सत्यनारायण पुत्र अम्बालाल निवासी सुन्दरचा तहसील व जिला राजसमन्द।
3. नारायणलाल पुत्र गोवर्धनलाल निवासी सुन्दरचा तहसील व जिला राजसमन्द।
4. केसबाई पत्नि केशुलाल निवासी सुन्दरचा तहसील व जिला राजसमन्द।
5. डाई देवी पुत्री केशुलाल निवासी सुन्दरचा तहसील व जिला राजसमन्द।
6. डालीबाई पत्नि दुर्गाशंकर निवासी सुन्दरचा तहसील व जिला राजसमन्द।
7. दुर्गादेवी पुत्री केशुलाल निवासी सुन्दरचा तहसील व जिला राजसमन्द।
8. निर्मलादेवी पत्नि सम्पतलाल निवासी सुन्दरचा तहसील व जिला राजसमन्द।
9. प्रकाशचन्द पिता केशुलाल निवासी सुन्दरचा तहसील व जिला राजसमन्द।
10. मांगीदेवी पुत्री केशुलाल निवासी सुन्दरचा तहसील व जिला राजसमन्द हाल आर एस ई बी कालोनी पावर हाउस देबारी जिंक स्मेल्टर उदयपुर जिला उदयपुर।
11. गोवर्धनलाल पुत्र केशुलाल निवासी सुन्दरचा तहसील व जिला राजसमन्द।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुंवारिया जिला राजसमन्द।
13. श्रीमती गीता पुत्री गिरधारी लाल माता निर्मला पति श्री राजेन्द्र उर्फ राजु पुरोहीत निवासी भाटीया भवन के पिछे सनराईस स्कुल के सामने बिच्छु मंगरी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
14. श्री चेतन पुत्र सुरेशचन्द्र पौत्र निर्मला निवासी बामनटुकडा तहसील व जिला राजसमन्द।
15. श्री जगदीश पुत्र अम्बालाल निवासी सुन्दरचा तहसील व जिला राजसमन्द।
16. श्रीमती दुर्गा पुत्री अम्बालाल पति श्री किशनलाल जी पुरोहित निवासी सुन्दरचा तहसील व जिला राजसमन्द।
17. श्री दिपक पुत्र सुरेश चन्द्र पौत्र निर्मला निवासी बामनटुकडा तहसील व जिला राजसमन्द।
18. श्री प्रकाश पुत्र गिरधारीलाल माता निर्मला निवासी बामनटुकडा तहसील व जिला राजसमन्द।
19. श्री भरत पुत्र सुरेशचन्द्र पौत्र निर्मला निवासी बामनटुकडा तहसील व जिला राजसमन्द।
20. श्रीमती भागवन्ती देवी पत्नि स्वं. सुरेशचन्द्र निवासी बामनटुकडा तहसील व जिला राजसमन्द।
21. श्री मन्नालाल पुत्र कजोड पालीवाल निवासी सुन्दरचा तहसील व जिला राजसमन्द।
22. मुरली पुत्र गिरधारी लाल माता निर्मला निवासी बामनटुकडा तह. व जिला राजसमन्द।
23. श्री मांगीलाल पुत्र गिरधारी लाल माता निर्मला निवासी बामनटुकडा तह. व जिला राजसमन्द।
24. श्रीमती सिमा पुत्री गिरधारीलाल माता निर्मला पति श्री नरेन्द्र बागोरा निवासी 313/2 स्कीम नम्बर 51 इन्दोर म.प्र. 452007।

.............विपक्षीगण

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

वकील प्रार्थीगण :- श्री डुंगरसिंह कर्णावट

वकील विपक्षी सं. 1 से 4, 7, 9,11 :- श्री सम्पतलाल लढ्ढा

विपक्षी संख्या 5, 6, 8, 10, 13 से 24 :- अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय

विपक्षी संख्या 12 :- पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सुन्दरचा तहसील राजसमन्द मे स्थित आराजी नम्बर 1944 रकबा 0.0647 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी के उक्त खेत मे आने जाने का एक मात्र रास्ता मुख्य सडक आराजी संख्या 1991 से आराजी संख्या 2747/1953, 2746/1953 की पूर्वी पाली से होते हुये आराजी संख्या 1942 की पूर्वी पाली से होते हुये प्रार्थी की आराजी संख्या 1944 में प्रवेश करता है, यही रास्ता प्रार्थी की उक्त भूमि में आने जाने, बैलगाडी ट्रेक्टर लाने ले जाने का सदीप से बना हुआ है। प्रार्थी की उक्त आराजी संख्या 1944 में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। यही रास्ता मुख्य सडक से प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिये सबसे छोटा सुगम सदीप से चला आ रहा है इसके अलावा प्रार्थी की उक्त भूमि में आने जाने, बैलगाडी ट्रेक्टर लाने ले जाने का और कोई रास्ता नही है। विपक्षीगण धमकीया दे रहे है की रास्ते को वो बन्द कर देंगे, उन्होने वहाँ पर पत्थर डलवाना प्रारम्भ कर दिया है। प्रार्थी ने आ.सं. 1944 विपक्षीगण संख्या 4, 6, 7, 9, 11 से ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की है और इस विक्रय पत्र मे भी स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है की उक्त आ.सं. 1944 में जाने आने के लिये जो रास्ते का उपयोग उपभोग उक्त विक्रेतागण कर रहे थे अर्थात आ.सं. 2747/1953, 2746/1953 व 1942 की पूर्वी पाली से जो रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी के पूर्वाधिकारी कर रहे थे उसी रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी करेगा। प्रार्थी की आराजी संख्या 1944 में आने जाने के लिये कम से कम 20 फिट चौडे रास्ते की आवश्यकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सुन्दरचा स्थित आराजी संख्या 1944 में आने जाने, ट्रेक्टर बैलगाडी आदि मशीनरी लाने ले जाने के लिये मुख्य सडक आ.स. 1991 से आ.सं. 2747/1953, 2746/1953 व 1942 की पूर्वी भाग में 20 फिट चौडा पुरी लम्बाई तक रास्ता प्रार्थी की आ.सं. 1944 में जाने के लिये विपक्षीगण से दिलवाया जाकर इसे राजस्व अभिलेखो मे रास्ते के रूप में दर्ज करवाया जाये व विपक्षीगण को पाबन्द किया जाये की वे इस रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध पैदा न करे, प्रार्थी के आने जाने, मशीनरी लाने ले जाने मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे, ना ही प्रार्थी के उपयोग उपभोग मे कोई बाधा ही उत्पन्न करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन जारी किये गये। विपक्षी संख्या 5, 6, 8, 10 बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने से उक्त प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया जाता है। विपक्षी संख्या 12 की और से पेरोकार राज उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 4, 7, 9, 10 की और से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल लढ्ढा उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम मे तहसीलदार राजसमन्द से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार राजसमन्द ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुन्दरचा के आ. न. 1944 में आने जाने हेतु ग्राम सुदरचा के आ. नं. 1942, 2746/1953, 2747/1953 में से 20 फीट रास्ता चाहा गया है। जो वर्तमान में मौके पर पड़त है। वादी उक्त आराजी नं. 1942, 2746/1953, 2747/1953 की पूर्वी दिशा की पाली (मेड) के पास से रास्ता चाहता है। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी कैलाश पिता अम्बालाल गोवर्धन लाल पिता केशूलाल, केसर पत्नि केशूलाल, डाई देवी पुत्री केशूलाल ने अपनी सहखातेदारी भूमि आ.नं 1942, 2746/1953, 2747/1953 में से रास्ता देने पर असहमति व्यक्त की एवं बताया कि आराजी न. 1944 में आने जाने हेतु पहले से ही अन्य खातेदारी भूमि आराजी नं. 1956, 1950, 1952, 1943 का उपयोग किया जा रहा है। आ. नं. 1944 में आने जाने हेतु राजस्व रेकॉर्ड में कोई बिलानाम

सहायक कलक्टर

रास्ता उपलब्ध नही है। आ. न. 1942 रकबा 0.0405 हैक्टेयर कैलाश पुत्र अम्बालाल, नारायण लाल पुत्र गोवर्धनलाल, सत्यनारायण पुत्र अम्बालाल ब्राह्मण के नाम खाते की दर्ज रेकॉर्ड है। आ. नं. 2747/1953 रकबा 0.0243 हैक्टेयर केसरवाई पत्नी केशूलाल, डाईदेवी पुत्री केशूलाल, डाली पत्नी दुर्गाशंकर, दुर्गा देवी पुत्री केशूलाल, निर्मलादेवी पत्नी सम्पतलाल, प्रकाशचन्द्र पुत्र केशूलाल, मांगीदेवी पुत्री केशूलाल, सत्यनारायण पुत्र अम्बालाल के नाम सहखातेदारी दर्ज रकॉर्ड है। आ. नं. 2746/1953 रकबा 0.0243 हैक्टेयर किस्म उद्योग केशर बाई पत्नि केशूलाल, गोवर्धनलाल पुत्र केशूलाल, डाई देवी पुत्री केशूलाल, डाली बाई पत्नी दुर्गाशंकर, दुर्गादेवी पुत्री केशूलाल, निर्मलादेवी पत्नी सम्पतलाल, प्रकाशचन्द्र पुत्र केशरलाल, मांगीदेवी पुत्री केशूलाल के नाम खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। आराजी नं. 2746/1953 रकबा 0.0243 हैक्टेयर किस्म उद्योग है।

अधिवक्ता उभपक्ष की तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत उक्त मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। जिस पर तहसीलदार राजसमन्द को उभपक्ष की उपस्थिति मे आपत्तियो को सुना जाकर पूनः मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पूनः मौका रिपोर्ट दिनांक 17.01.2025 को प्राप्त हुई। उक्त मौका रिपोर्ट मे कथन है कि आराजी नं. 2746/1953 रूपान्तरित भूमि होने से उक्त आराजीयात 1942, 2747/1953, 2746/1953 से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। मौके पर उपस्थित वादी कुंजबिहारी एवं प्रतिवादी सत्यनारायण पिता अम्बालाल आराजी नं. 1955, 1954, 1950, 1951, 1952 में से रास्ता सृजन हेतु सहमत है। राजस्व रेकॉर्ड अनुसार आराजी नं. 1944 में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है अतः निकटतम रास्ता आराजी नं. 1954, 1952, 1951 मे से प्रस्तावित है। आराजी नं. 1952 रकबा 0.0567 है. सत्यनारायण पिता अम्बालाल बाह्मण आराजी नं. 1951 रकबा 0.0809 है. सत्यनारायण पिता अम्बालाल 1/2, कैलाश पुत्र अम्बालाल 1/2 ब्राह्मण तथा आराजी नं. 1954 रकबा 0.0081 है. सत्यनारायण पुत्र अम्बालाल हिस्सा 1/20, केशरबाई पत्नि केशुलाल हिस्सा 1/24, व अन्य के नाम खातेदारी हक से भूमि दर्ज रेकॉर्ड है। आ. नं. 1951 रकबा 0.0809 हैक्टेयर मे से 0.0080 हैक्टेयर, आ नं. 1952 रकबा 0.0567 हैक्टेयर मे से 0.0198 हैक्टेयर एवं आ. नं. 1954 रकबा 0.0081 हैक्टेयर मे से 0.0032 हेक्टेयर कुल 0.0310 हेक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है।

दिनांक 17.01.2025 को प्राप्त रिपोर्ट मे प्रस्तावित रकबे अनुसार खातेदारान् पक्षकार नही होने से आराजी नम्बर 1954 के खातेदारन् को पक्षकार बनाए जाने विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.04.2025 को प्रा पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 जा दी का पेश किया। उक्त प्रा पत्र पर अधिवक्ता प्रतिवादी ने अनापत्ति जाहिर की जिसके आधार पर प्रस्तुत प्रा पत्र आदेश 1 नियम 10 स्वीकार किया जाकर नवीन पक्षकारान् विपक्षी संख्या 13 से 24 के रूप मे संयोजित किए गए। उक्त पक्षकारान् के बावजुद सूचना तामीली के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 17.01.2025 को प्राप्त मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को दिए जाने मे अनापत्ति जाहिर की।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आवश्यक प्रकृति का है, अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुनकर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी 2077-77 अनुसार राजस्व ग्राम सुन्दरचा पटवार हल्का सुन्दरचा तहसील राजसमन्द मे स्थित आराजी नम्बर 1944 रकबा 0.0647 प्रार्थी की एकल खातेदारी की है। उक्त आराजी मे आवागमन हेतु प्रार्थी द्वारा

रास्ता चाहा गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार आ. नं. 1951 रकबा 0.0809 हैक्टेयर मे से 0.0080 हैक्टेयर, आ नं. 1952 रकबा 0.0567 हैक्टेयर मे से 0.0198 हैक्टेयर एवं आ. नं. 1954 रकबा 0.0081 हैक्टेयर मे से 0.0032 हेक्टेयर कुल 0.0310 हेक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आवश्यक प्रकृति व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा भी प्रार्थी को अपनी भूमि मे आवागमन हेतु विपक्षी आराजी नं.नेव 1951, 1952 व 1954 मे से 20 फीट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया है, जो प्रार्थी को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम सुन्दरचा तहसील राजसमन्द मे स्थित आराजी नम्बर 1944 रकबा 0.0647 हैक्टेयर भूमि मे प्रार्थी के आवागमन हेतु आराजी संख्या 1951, 1952, 1954 मे से 20 फीट चौडा रास्ता (प्रस्तावित रकबा 0.0310 हैक्टेयर) कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। दिनांक 17.01.2025 को प्राप्त मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता कायम किया जावे। प्रार्थी द्वारा रास्ते के रूप मे प्रयुक्त होने वाले रकबे की डीएलसी दर की दुगुनी राशि अदा करने पर राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ता दर्ज किया जावे। उक्त राशि विपक्षीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में हक हिस्से अनुसार देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के नाम का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार राजसमन्द के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशि अदायगी हेतु 30 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधि के भीतर–भीतर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार राजसमन्द से प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होते है तो ऐसी स्थिति मे अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस मे अमल दरामद करें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा। केवल आवागमन कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

बृजेश गुप्ता (R.A.S)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

उक्त आदेश आज दिनांक 23.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द